

डिकरी व मुकदमें इब्दादाई  
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई  
व इजलास श्री गंगाधर भीणा, आर.ए.एस

अशोक कुमार बनाम साहिबराग बगौ

दावा बाबत 53, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 75/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु

न हाली यदी

मिनजानिब मुददत व  
डिकरी दी जाती है कि

मिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुक्म दिया जाता है न

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुरे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 23.09.2024 के अनुसार अंकित खसरा नम्बर 1230 रकवा 0.24 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुरे दिमाखन प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुरे रिपोर्ट दिनांक 23.09.2024 प्रदर्श-अ इस निर्णय व अन्तिम डिकरी का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवा/हिसा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। बेज - मुबलिग - - - - - बावत - - - - - खचा इस मुकदमें के मयसुद व शरह - - - - - फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयादी तद की अदा करें।


दसब व मुहर अदालत के आज तारीख

04.11.2024

को जारी की गई।

दस्तखत

  
4/11/24

मुददई	रुप्या	पैसा	मुददालय	रुप्या
गाम्प अराजी दावा गाम्प वकालतनामा गाम्प वजह सबूत नताना वकील र्चा गवाहान स कमीशनर त इजराय हुक्म नामा फर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	उपखण्ड अधिकारी नदबई (मरतपुर)
मीजान			मीजान	

**डिकरी व मुकदमें इब्तदाई**  
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई  
व इजलास श्री गंगाधर मीणा, आर.ए.एस

**अशोक कुमार बनाम साहिबराम बगौ**

दावा बाबत 53, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 75/2018


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू .....- व हालत यदि  
मिनजानिब मुददठ व ..... मिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व  
डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुरें रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 23.09.2024 के अनुसार अंकित खसरा नम्बर 1230 रकवा 0.24 हैक्टे. वाके कम्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुरें तिभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुरें रिपोर्ट दिनांक 23.09.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबा/हिसा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। बीज - मुबलिंग - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह -----फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयावी तक ----- की अदा करें।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **04.11.2024** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

  
4/11/24

मुददई	रूप्या	पैसा	मुददालय	रूप्या
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	
मीजान			मीजान	

**उपखण्ड अधिकारी**  
**नदबई (मरतपुर)**

1. अशोक कुमार पुत्र टेक चंद जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)  
वादीगण

दावा सं.  
75 / 2018

बनाम

1. साहिबराम पुत्र हेमराज जाति खत्री निवासी नदबई तहसील नदबई
2. नोताराम पुत्र हेमराज जाति खत्री निवासी नदबई तहसील नदबई उपेन्द्रसिंह
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

असल प्रतिवादीगण

4. शकुन्तला वेवा टेकचंद जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. दयानन्द पिस0 टेकचंद जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. प्रवीन पिस0 टेकचंद जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. चन्द्रेश पुत्री टेकचंद जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
8. पुष्पलता वेवा संजय जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

पीठारसीन अधिकारी:- श्री मंगधर पीना (R.A.S.)

दावा सं.  
75/2018

रजु दिनांक  
03.07.2018

अन्तिम पर्चा डिकी दिनांक  
04.11.2024

उनवान

1. अशोक कुमार पुत्र टेक चंद जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई  
(भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. साहिबराम पुत्र हेमराज जाति खत्री निवासी नदबई तहसील नदबई
2. नोताराम पुत्र हेमराज जाति खत्री निवासी नदबई तहसील नदबई उपेन्द्रसिंह
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

4. शकुन्तला वेवा टेकचंद जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई जिला  
भरतपुर
5. दयानन्द पिस0 टेकचंद जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई जिला  
भरतपुर
6. प्रवीन पिस0 टेकचंद जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई जिला  
भरतपुर
7. चन्द्रेश पुत्री टेकचंद जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई जिला  
भरतपुर
8. पुष्पलता वेवा संजय जाति पंजाबी निवासी नदबई तहसील नदबई जिला  
भरतपुर।

उपस्थित श्री अशोक कुमार एडवो0 वादी की ओर से  
उपस्थित श्री रामकिशन गुर्जर प्रतिवादीगण की ओर से  
दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए एक्ट

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 04.11.2024 को श्री गंगाधर मीना उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1230 रकवा 0.24 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है।

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 23.09.2024 के अनुसार अंकित खसरा नम्बर 1230 रकवा 0.24 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 23.09.2024 प्रदर्श-“अ” इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

4/11/24

(गंगाधर मीना R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
नदबई (भरतपुर)

नदबई